



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 03.03.2026

1. थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा एक चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 51,200 रुपये, एक अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 03.03.2026 को सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से मु0अ0सं0 89/2026 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त सुरजीत पुत्र शोभाराम को सेक्टर-41, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे चोरी के 51,200 रुपये, एक अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाचे रजि0नं0 DL3SEH2338 बरामद हुई है ।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह शादी समारोह में घुसकर बारात में चढ़त के समय लोगों के बीच घुसकर भीड़भाड़ होने का फायदा उठाकर लोगो की जेब व बैगों से पैसे चुराता लेता है। बरामद रुपये अभियुक्त द्वारा सामुदायिक बारात घर सेक्टर-39 नोएडा में चल रही एक शादी से बारात चढ़त के समय चुराये गये थे ।

अभियुक्त का विवरण-- सुरजीत पुत्र शोभाराम निवासी सुहागपुर, थाना बरदा, जिला आजमगढ़ वर्तमान पता एस्थल मन्दिर के पास, संगम विहार, दिल्ली उम्र 39 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 89/2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39, नोएडा।
2. मु0अ0सं0 83/2026 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना सेक्टर-24, नोएडा।
3. मु0अ0सं0 662/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा।
4. मु0अ0सं0 101/18 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना सेक्टर-24, नोएडा।
5. मु0अ0सं0 317/11 धारा 379 भादवि साकेत कोर्ट, दिल्ली।
6. मु0अ0सं0 121/12 धारा 356/379/411 भादवि साकेत कोर्ट, दिल्ली।
7. मु0अ0सं0 517/15 धारा 354/323/341/506/34 भादवि साकेत कोर्ट, दिल्ली।
8. मु0अ0सं0 856/15 धारा 354 बी भादवि साकेत कोर्ट, दिल्ली।

बरामदगी का विवरण--

- 1- 51,200 रुपये नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0 89/2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39, नोएडा।
- 2- 01 अवैध चाकू
- 3- घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल अपाचे रजि0नं0 DL3SEH2338

2. थाना जारचा पुलिस द्वारा एक्सीडेंट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

घटना का विवरण-- दिनांक 28.02.2026 को थाना जारचा क्षेत्र के अंतर्गत चादर कम्पनी के पास, ग्राम बिसाहडा में ट्रैक्टर रजि० नं० UP16FJ5705 के चालक द्वारा लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी गयी थी जिससे वादी के पुत्र नवीन उम्र 32 वर्ष व पुत्री प्रियांशी उम्र 18 वर्ष की मृत्यु हो गयी थी। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना जारचा पर मु०अ०सं० 035/26 धारा 281/106(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही का विवरण--दिनांक 03.03.2026 को थाना जारचा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से मु०अ०सं० 035/26 धारा 281/106(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त यतेन्द्र सिंह पुत्र अजब सिंह (ट्रैक्टर चालक) को वीरपुरा की झाल के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर रजि० नं० UP16FJ5705 मय ट्रॉली बरामद किया गया है ।

अभियुक्त का विवरण-- यतेन्द्र सिंह पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम वीरपुरा, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 48 वर्ष ।

अभियोग का विवरण-- मु०अ०सं० 35/2026 धारा 281/106(1) बीएनएस थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण-- घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर रजि० नं० UP16FJ5705 मय ट्रॉली